

फरवरी 5, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-04

**कार्यकारी आदेश 2021-04**  
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश संख्या 74)**

**जबकि**, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बड़े पैमाने पर बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 1,140,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 19,500 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करता है और इसके अनुरूप स्वयं को ढालता है, यह रोग एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, और अभी तक इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

**जबकि**, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध एवं मार्गदर्शन जिन सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी के उपाय बनाए रखना कठिन हो वहाँ चेहरे पर कपड़े के कवर पहनने की आवश्यकता और प्रभावशीलता की ओर संकेत करता है, और यह संकेत देता है कि बाहर खुले में रोग फैलने का जोखिम, भवनों के अंदर रोग फैलने के जोखिम की तुलना में कम है; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि जो लोग एक ही घर में नहीं रहते हैं उन के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

**जबकि**, जैसे राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 19,500 से भी अधिक इलिनॉय वासियों को दुखद मृत्यु देने एवं दसियों हज़ारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करने के अतिरिक्त, COVID-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को खतरे में डाल रहा है; और,

**जबकि**, राज्य के कई कार्यकारी अभिकरणों ने अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 वैश्विक-महामारी पर दी जा रही प्रतिक्रिया पर केंद्रित किया है; और,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय कृषि विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए मृत पशु निपटान अधिनियम (डेड एनिमल डिस्पोज़ल एक्ट) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और,

**जबकि**, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें कीटनाशक (पेस्टिसाइड) लगाने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण संचालित करने की नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और,

**जबकि**, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए व्यवसाय व्यवधान अनुदान कार्यक्रम (बिज़नेस इंटरप्शन ग्रांट प्रोग्राम) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और,

**जबकि**, फरवरी 5, 2021 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि**, ऊपर वर्णित महामारी की आपातस्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में, मैं कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-41, 2020-42, 2020-45, और 2020-47, 2020-50, 2020-57, 2020-68, 2020-72, और 2021-03 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूँ और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्वारा सम्मिलित करता हूँ;

**अतः**, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुरूप, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ जो 5 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा:

### **भाग 1: सरकारी आदेशों का पुनः जारी किया जाना।**

कार्यकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-41, 2020-42, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-57, 2020-68, 2020-72, और 2021-03 को निम्न प्रकार से पुनः जारी किया जाता है:

### **कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र (James R. Thompson Center) का बंद होना; राज्य कर्मचारियों के लिए बीमारी की छुट्टी की आवश्यकता का अधित्याग):**

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं 6 मार्च 2021 तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कुछ भी केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज़) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-07 (वैयक्तिक बैठक की आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-33 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6 को 6 मार्च 2021 तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

**कार्यकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑपरेशंस):**

कार्यकारी आदेश 2020-39 और कार्यकारी आदेश 2020-44, और कार्यकारी आदेश 2020-74 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-08 के अनुभाग 3, 4, 5 और 6 को 6 मार्च 2021 तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

**कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरभाष स्वास्थ्य (टेलीहेल्थ)):**

कार्यकारी आदेश 2020-52 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-09 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय सुधार विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):**

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मि पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि):**

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (इलिनॉय स्कूल कोड) के प्रावधानों का स्थगन):**

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8 और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-16 (सुरक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कक्षा प्रशिक्षण का स्थगन):**

कार्यकारी आदेश 2020-16 का अनुभाग 2 पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भाग (केनाबिस) की समय-सीमाएं एवं आवेदन):**

कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

**कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 6 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश):**

कार्यकारी आदेश 2020-21 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा की गई कार्रवाइयां):**

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग विधि चिकित्साशास्त्र उपचार कार्यक्रम (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज फ़ोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम): (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल):**

कार्यकारी आदेश 2020-24 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):**

कार्यकारी आदेश 2020-55 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-25 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 6 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):**

कार्यकारी आदेश 2020-26 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):**

कार्यकारी आदेश 2020-27 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):**

कार्यकारी आदेश 2020-55 और कार्यकारी आदेश 2021-01 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-28 को इसकी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और मार्च 6, 2021 तक विस्तारित किया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का वैयक्तिक रूप से शिक्षण या परीक्षाएँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-29 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-30 (कालातीत वाणिज्यदूतावास-संबंधी पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलिंग):**

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5 और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-34 (भांग (केनाबिस) संबंधी आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-34 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-35 (इलिनॉय विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य नियामक गतिविधियां, (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ रेगुलेटरी एक्टिविटीज):**

कार्यकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 14, 15, 16 और 17 को पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह लाइसेंस):**

कार्यकारी आदेश 2020-36 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):**

कार्यकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2 और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-41 (खेलों पर दांव लगाना):**

कार्यकारी आदेश 2020-41 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):**

कार्यकारी आदेश 2020-42 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-45 (केनाबिस लाइसेंस):**

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किया गए के अनुसार प्रभावशील रहेगा।

**कार्यकारी आदेश 2020-47 (preK-12 स्कूलों में वैयक्तिक रूप से शिक्षण):**

कार्यकारी आदेश 2020-47 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):**

कार्यकारी आदेश 2020-50 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-57 (भांग (केनाबिस) के पहचान पत्र):**

कार्यकारी आदेश 2020-57 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-68 (भांग (केनाबिस) रजिस्ट्री पहचान पत्र के नवीकरण):**

कार्यकारी आदेश 2020-68 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं मार्च 6, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-72 (आवासीय निष्कासन स्थगन):**

कार्यकारी आदेश 2020-74 और कार्यकारी आदेश 2021-01 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-72 को इसकी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और मार्च 6, 2021 तक विस्तारित किया गया है।

**कार्यकारी आदेश 2021-03 (रिजनल मिटिगेशन मैट्रिक्स):**

कार्यकारी आदेश 2021-03 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **मार्च 6, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लॉज़)।** यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)**

**राज्यपाल (गवर्नर)**

फरवरी 5, 2021 को राज्यपाल द्वारा जारी किया गया  
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा फरवरी 5, 2021 को दायर